भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3330
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

राजस्थान में मिशन वात्सल्य का कार्यान्वयन

3330. **श्री उम्मेदा राम बेनीवालः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में बाड़मेर जिले सहित 'मिशन वात्सल्य' की शुरुआत से अब तक इसके तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान बाड़मेर जिले सहित राज्य में उक्त मिशन के तहत स्वीकृत, जारी/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त जिले सहित राज्य में बाल देखभाल संस्थानों, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों, मुक्त आश्रयों और उसके अंतर्गत सहायता प्राप्त अन्य बाल संरक्षण सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) राज्य में, विशेष रूप से उक्त जिले में 'मिशन वात्सल्य' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राजस्थान राज्य सहित सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य पूर्व-निर्धारित लागत साझेदारी के आधार पर कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत संस्थागत देखभाल तथा गैर-संस्थागत देखभाल, दोनों प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत स्थापित बाल देखभाल संस्थाओं में बच्चों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल तथा परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं के अंतर्गत प्रायोजन, पालक देखभाल, दत्तक ग्रहण तथा पश्चात देखभाल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पुनर्गठित मिशन वात्सल्य पोर्टल प्रारंभ किया है, जो बाल संरक्षण सेवाओं से संबंधित सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच है। मिशन वात्सल्य पोर्टल एक प्रौद्योगिकी-संवर्धित सुरक्षित पोर्टल है, जो राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न हितधारकों को डिजिटल माध्यम से कार्य करने के लिए एक समेकित मंच उपलब्ध कराता है। पूर्व में संचालित 'खोया-पाया' पोर्टल, ट्रैकचाइल्ड सेवाएं तथा दत्तक ग्रहण हेतु कैयरिंग्स पोर्टल को भी इस एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत, कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से पूरे वर्ष चौबीसों घंटे (24 7 365) आपातकालीन आउटरीच सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) को गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112) तथा महिला हेल्पलाइन-181 के साथ एकीकृत किया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन हेतु सभी 36 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय महिला एवं बाल विकास विभाग समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

जिलावार आंकड़ों का रिकॉर्ड केंद्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। राजस्थान राज्य में संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार हैः—

(31.03.2026 तक)

संस्थागत देखभाल के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चे				**गैर-संस्थागत देखभाल (प्रायोजन/पालक देखभाल/पश्चात देखभाल) के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चे**			
2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
2560	2733	3958	4629	239	933	475	359

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है—

(करोड़ रुपये में)

2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
जारी	**जारी**	**जारी**	**जारी**
66.00	42.84	74.98	30.43

राजस्थान राज्य में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले बाल देखभाल संस्थाओं, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों, खुले आश्रयों तथा अन्य बाल संरक्षण सेवाओं का विवरण निम्नानुसार हैः—

वित्तीय वर्ष	बालगृह	एसएए	खुले आश्रय	जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ	बाल कल्याण समितियाँ	किशोर न्याय बोर्ड
2022-23	105	33	18	33	33	34
2023-24	95	33	13	33	33	34
2024-25	94	33	13	33	34	35
2025-26	90	46	11	41	41	42
